



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112024-259031  
CG-DL-E-29112024-259031

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 946]  
No. 946]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 27, 2024/अग्रहायण 6, 1946  
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2024/AGRAHAYANA 6, 1946

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग  
शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2024

सं. एल-1/260/2021/केविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2024 (अधिसूचना सं. एल-1/260/2021/केविआ दिनांक 05.08.2024) को 21.08.2024 को भारत के राजपत्र में भाग-III, खण्ड-4, सं. 642 में प्रकाशित किया गया। निम्नलिखित शुद्धियां उक्त राजपत्र के अंग्रेजी रूपांतर में की गईं:

- पृष्ठ 14 और 15 में, विनियम 8 के खण्ड (15) से खण्ड (18) को अनुक्रमिक रूप से "खण्ड (1) से खण्ड (4)" के रूप में पढ़ा जाएगा।
- पृष्ठ 15 में, विनियम 8 के खण्ड (18) के नोट 1 के बाद, उप-नोट (ii) और (iii) को क्रमशः "उप-नोट (i) और (ii)" के रूप में पढ़ा जाएगा।
- पृष्ठ 16 में, विनियम 8 के खण्ड (19) को "खण्ड (5)" के रूप में पढ़ा जाएगा।
- पृष्ठ 16 में, विनियम 8 के खण्ड (19), "इस विनियम के उप-खण्ड (5) के अनुसार.....ईएसएस सहित डब्ल्यूएस विक्रेताओं के संबंध में, विचलन की संगणना के लिए फार्मूला सहित विचलन के लिए प्रभार" शब्दों से आरंभ होने वाले, चतुर्थ पैराग्राफ, को खण्ड "(6)" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा।
- पृष्ठ 16 में, विनियम 8 के खण्ड (20) को खण्ड "(7)" के रूप में पढ़ा जाएगा।
- पृष्ठ 16 और 17 में, विनियम 8 के खण्ड (20), सारणी के शीर्षों में दर्शाई गई क्रम संख्या (V), (VI), (VII) और (VIII) को क्रमशः "(I), (II), (III) और (IV)" के रूप में पढ़ा जाएगा।
- पृष्ठ 17 और 18 में, विनियम 8 के खण्ड (21) से (27) को आनुक्रमिक रूप से "खण्ड (8) से खण्ड (14)" के रूप में पढ़ा जाएगा।
- पृष्ठ 18 में, "विचलन और सहायक सेवा पूल लेखा के लिए प्रभारों का लेखांकन" शीर्ष को "9" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा।

9. पृष्ठ 18 में, "विचलन और सहायक सेवा पूल लेखा के लिए प्रभारों का लेखांकन" शीर्ष के अधीन विनियम 9 के खण्ड (8) से (14) को आनुक्रमिक रूप से "खण्ड (1) से खण्ड (7)" के रूप में पढ़ा जाएगा।
10. पृष्ठ 19 में, विनियम "9". विचलन के लिए प्रभारों के भुगतान की अनुसूची" को संख्यांकित "10" किया जाएगा।
11. पृष्ठ 19 में, विनियम 9 के खण्ड (4), (5) और (6) को आनुक्रमिक रूप से "खण्ड (1), (2) और (3)" के रूप में पढ़ा जाएगा।
12. पृष्ठ 19 में, विनियम "10". शिथिल करने की शक्ति" को "11" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा।
13. पृष्ठ 19 में, विनियम "11". कठिनाई दूर करने की शक्ति" को "12" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा।
14. पृष्ठ 19 में, विनियम "12". निरसन और व्यावृत्तियां" को "13" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा।

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./716/2024-25]

## CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

### ERRATA

New Delhi, the 18th November, 2024

**No. L-1/260/2021/CERC.**—The Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2024 (Notification No. L-1/260/2021/CERC dated 05.08.2024) were published in Part-III, Section 4, No. 642 of the Gazette of India Extraordinary on 21.08.2024. The following corrections are made in the English version of the aforesaid Gazette:

1. In pages 14 and 15, clause (15) to clause (18) of the Regulation 8 shall be sequentially read as "clause (1) to clause (4)".
2. In page 15, after Note 1 of clause (18) of the Regulation 8, the sub-notes (ii) and (iii) shall be read as "sub-notes (i) and (ii)" respectively.
3. In page 16, clause (19) of the Regulation 8 shall be read as "clause (5)".
4. In page 16, clause (19) of the Regulation 8, fourth paragraph, starting with the words, "Charges for Deviation including the formula for computation of Deviation, in respect of a WS Seller with ESS ..... as per sub-clause (5) of this Regulations." shall be numbered as clause "(6)".
5. In page 16, clause (20) of the Regulation 8, shall be read as Clause "(7)".
6. In pages 16 and 17, clause (20) of the Regulation 8, the serial numbers (V), (VI), (VII) and (VIII) shown in the headings of the table shall be read as "(I), (II), (III) and (IV)" respectively.
7. In pages 17 and 18, clause (21) to clause (27) of the Regulation 8 shall be sequentially read as "clause (8) to clause (14)".
8. In page 18, the heading "Accounting of Charges for Deviation and Ancillary Service Pool Account" shall be numbered as "9".
9. In page 18, clause (8) to clause (14) of Regulation 9 under the heading "Accounting of Charges for Deviation and Ancillary Service Pool Account" shall be sequentially read as "clause (1) to clause (7)".
10. In page 19, Regulation "9". Schedule of Payment of charges for deviation" shall be numbered "10".
11. In page 19, clauses (4), (5) and (6) of the Regulation 9 shall be sequentially read as "clauses (1), (2) and (3)".
12. In page 19, Regulation "10". Power to Relax" shall be numbered as "11".
13. In page 19, Regulation "11". Power to Remove Difficulty" shall be numbered as "12".
14. In page 19, Regulation "12". Repeal and Savings" shall be numbered as "13".

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./716/2024-25]